तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.स. 84/2024 राजकुमारी बनाम रामरतन व.गै.
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो। Jshark
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी कर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Jshark उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 121/2024

1. राजकुमारी पत्नि भीमसिंह
2. शान्ति पत्नि रामन्दरसिंह जाति जाट निवासी गहलउ तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र पातरिया जाटव निवासी गहलउ तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. भगतसिंह पुत्र भगरसिंह
3. गोविन्द पुत्र जगराम
4. अर्जुन पुत्र भगतसिंह रामरत जाति जाट निवासी गहलउ तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—29.08.2025**

प्रार्थी/प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 381/0.22, 382/0.08है0 बाके ग्राम गहलउ तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। आराजी खसरा नम्बर 381 में प्रार्थीगण की लम्बे उरसे से पाटौर डली हुई है जो कृषि उपकरण रखने एवं उठने बैठने एवं अनाज भूसा रखने के काम आती है तथा कुछ भाग पर प्रार्थीगण के पत्थर तथा घूरे पडे हुये है तथा पशुओं को बॉधने के लिए खूंटे गढे हुये है प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को काफी लागत व मेहनत से उपयोग व उपभोग हेतु बनाया है तथा प्रार्थीगण ने उक्त आराजी की पत्थर की मुड्डी गाढकर तारबंदी कर रखी है तथा शान्तिपूर्वक उक्त आराजी को प्रार्थीगण अपने उपयोग तथा उपभोग में ले रखी है। उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थीगण को कोई सम्बन्ध सरोकार किसी भी हैसियत में नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण चालाक व झगडालु प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी पर नाजायज तरीके से कब्जा करने की नीयत से प्रार्थीगण को तंग व परेशान करते है चुंकि प्रार्थीगण की उक्त आराजी की बगल में

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रतिवादी संख्या 1 व उसके सहखातेदार गंगाराम, चन्दर पुत्र रोशन कोली निवासी भैंसा की आराजी ख0नं0 379 स्थित है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने खसरा नम्बर 379 की कभी पैमाईश नहीं करायी है फिर भी प्रार्थीगण से पैमाईश कराने हेतु झगडा करने पर उतारू रहता है और इस कृत्य में अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 उसका साथ देते है। अप्रार्थी संख्या 1 की सन्तुष्टि के लिये प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी की पैमाइश तहसीलदार उच्चैन एवं सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा कराई गई तथा निशानात कायम किये गये तथा मौके पर पत्थरगढी कायम की गई इसके बाद प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की तारबंदी करदी इसके बाबजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 गलतफहमी में आकर अपने साथ अप्रार्थी संख्या 2,3,4 को लेकर हमारी उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहता है तथा झूठे मुकदमे में फॅसाने की धमकी देता है। दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थीगण मौके पर आ गये एवं प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं विवादित आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 379 जिसका पुराना नम्बर 300 है सडक से लगा हुआ है एवं कीमती है तथा जो अलामात प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 381 में बताकर अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज कराया है वो अलामात प्रार्थीनी की आराजी खसरा नम्बर 381 में ना होकर 379 में है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया है हम अप्रार्थीगण की आराजी के पश्चिम में लगी हुयी आराजी प्रार्थीगण की है एवं दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी के नये नक्शा बनाये गये तथा नये नक्शे में हम अप्रार्थीगण का रकवा कम कर दिया जिसकी शुद्धि बाबत् न्यायालय श्रीमान में हम अप्रार्थीगण ने रामरत बनाम राज0 सरकार प्रार्थना पत्र पेश किया एवं जैसे ही प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुयी की नक्शा में गलती हो गयी है। प्रार्थीगण ने नये नक्शे से पैमाईश करा हमारी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहा तथा अब अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे दावे को डिफेंड करने के उद्देश्य से ये झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिजी है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि हम प्रार्थीगण की आराजी की बगल में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 379 स्थित है जो रामरतन, चन्दर एवं गंगाराम के नाम दर्ज है एवं मेरे पडोस में रामरतन का हिस्सा ना हो चंन्दर एवं गंगाराम का हिस्सा है एव हम प्रार्थीगण एवं हमारे पडोसी खातेदार के मध्य कोई विवाद मौके पर नहीं है परन्तु रामरतन दबंग व्यक्ति है जो कि हमारी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थीगण का कहना है कि उनकी आराजी का रकवा कम है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजी की बार बार पैमाईश करायी गई है लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजी उच्चैन से बारहमाफी जाने वाले रास्ते पर पडती है। खसरा नम्बर 381 के पश्चिम में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 379 स्थित है जिनका साबिक नम्बर 300 है

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

दौराने सैटलमेंन्ट खसरा नम्बर 379 के पूर्व दिशा के गट्ठे 20 से 18 कर दिये एवं दक्षिण दिशा के गट्ठे 28 के स्थान पर 26 कर दिये जिसके कारण हम अप्रार्थीगण की आराजी से 7 एयर जमीन कम हो गई। जिसकी दुरस्ती बाबत् अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसकी तलबी से प्रार्थीगण को नक्शे में अशुद्धि का पता चला एवं उक्त अशुद्धि का फायदा उठाकर अप्रार्थी ने पैमाईश कराकर मुझ अप्रार्थी की आराजी में जबरन मुड्डी गाढ दी एवं पेड आदि काट दिये। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीगण उक्त टी.आई. की आड में मेरी आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है। चुंकि उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है अतः उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित होते है। उक्त आराजी बावत् अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीयागण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। यदि दौराने बाद उक्त आराजी के मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है और विवादित आराजी के रिकार्ड की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन आदि होता है तो प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावितं है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीयागण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त विवादित आराजी की पैमाईश प्रार्थीगण द्वारा कई बार करवाई गई है एवं उक्त आराजी की पैमाईश जरिये सैटलमेंन्ट भी करायी गयी है एवं प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में यदि अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा से अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः—

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 381/0.22, 382/0.08है0 बाके ग्राम गहलउ तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर